

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-218/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० शमा प्रवीन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी, बिस्फी, मधुबनी द्वारा दिनांक-01.12.2025 से 29.05.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(दिनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-218/2025- 1947(2) पटना, दिनांक 24/2/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/  
प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०कां०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी  
/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिस्फी, मधुबनी /जिला  
कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/डा० शमा प्रवीन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक  
स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी, बिस्फी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय  
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. K. Singh  
सरकार के उप सचिव।  
2